

कार्यालय नगर पालिका मण्डल श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक:नपाश्रीमा/2022-23/ ७०८

दिनांक: ४६|०५|२०२२

एम्पावर्ड समिति बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 26.05.2022 को प्रातः 11.00 बजे नगर पालिका श्रीमाधोपुर में आहुत एम्पावर्ड समिति के समक्ष निम्नानुसार 07 (सात) प्रकरण अनुमोदनार्थ एवं विचारार्थ रखा गया। जिसमें निम्नानुसार एम्पावर्ड समिति के सदस्यों की उपस्थिति रही :-

- | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|---------|
| 1. श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका श्रीमाधोपुर | (हरिनारायण) | (अध्यक्ष) | उपस्थित |
| 2. श्रीमान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर | (रजत जैन) | (सदस्य सचिव) | उपस्थित |
| 3. श्रीमान उप/जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर | (मो. अजहर जाट) | (सदस्य) | उपस्थित |
| 4. श्रीमान कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर | (लोकेश नितारावाल) | (सदस्य) | उपस्थित |
| 5. श्रीमान विधि सलाहकार नगर पालिका श्रीमाधोपुर | (रक्षपाल खामी) | (विशेष आमत्रित सदस्य) | उपस्थित |
| 6. श्रीमान लेखा प्रभारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर | (निश्चल बनर्जी) | (विशेष आमत्रित सदस्य) | उपस्थित |

उपस्थिति अनुसार कोरम पूर्ण होने पर श्रीमान अध्यक्ष एवं अनुमोदनार्थ रखे गये :-

- श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री फूलचन्द महवाला वाडे नं. 24 सुराणी बाजार श्रीमाधोपुर में स्वयं के स्वामित्व के व्यावसायिक भूखण्ड क्षेत्रफल 35.17 वर्गमीटर पर व्यावसायिक पुनः निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 11.05.2022 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर निर्धारित अवधि में / पश्चात कोई आपत्ति ग्रात नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 19.05.2022 को व्यावसायिक पुनः भवन निर्माण स्वीकृति हेतु तकनीकी मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में व्यावसायिक आरक्षित है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.11 (9)नविवि/2020 दिनांक 31.03.2022 के अनुसार राजस्थान भवन विनियम 2020 में संशोधित/

२
८८

पुर्स्थापित / अतिरिक्त जोडे गये प्रावधान अनुसार समस्त चौड़ाई की सड़कों पर रिथत 90 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर अग्र सेटबैक अनिवार्य नहीं होगा। उक्त वर्गित संशोधन एवं राजस्थान विनियम 2020 के प्रावधानों अनुसार उक्त आवेदित भूखण्ड पर शुन्य सेटबैक छोड़ते हुए अधिकतम उचाई 8 मीटर तक उक्त भूखण्ड पर आवेदित व्यावसायिक निर्माण स्थीकृति (भूतल, प्रथम तल) अनुज्ञेय की जा सकती है। भूमि शाखा प्रभारी एवं बरिष्ठ लिपिक की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक का प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार भूखण्ड पर आवेदक का स्वामित्व सिद्ध हो रहा है। आवेदक द्वारा उक्त निर्माण स्थीकृति के संबंध में अपने पुराने निर्माण जो कि जर्जर अवस्था में है। उसे पूर्णतया ध्वरत करते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 एवं राजस्थान भवन विनियम 2020 की पूर्ण पालना किये जाने बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यों द्वारा आवेदक श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री फूलचन्द मउवाला वार्ड नं. 24 सुराणी बाजार श्रीमाधोपुर में रख्ये के स्वामित्व के उक्त आवेदित भूखण्ड पर शुन्य सेटबैक छोड़ते हुए अधिकतम उचाई 8 मीटर तक उक्त भूखण्ड पर आवेदित व्यावसायिक पुनः निर्माण रखीकृति (भूतल, प्रथम तल) जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

2. खसरा नं. 467,471,472,473,474 कुल खसरे 05 रक्षा 1.1900 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर में कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ योजना के संशोधित ले-आउट प्लान के अनुमोदन पर विचार/निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदरस्य सचिव एवं अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर के कार्यालय पत्रांक 2780 दिनांक 02.01.2019 के द्वारा श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर को श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री प्रेमचन्द निवासी वार्ड नं. 10 श्रीमाधोपुर स्थित ले-आउट प्लान खसरा नं. 467,471,472,473,474 कुल खसरे 05 रक्षा 1.1900 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर में कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ योजना के संशोधित ले-आउट प्लान के अनुमोदन एवं तकनिकी राय हेतु पत्र लिखा गया। जिसके संबंध में श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर के पत्रांक टीपीएसके/ 1600/ 2012 / श्रीमाधोपुर/ 2018/ 1284 दिनांक 16.03.2022 द्वारा पत्र में वर्णित शर्तों के अध्याधीन कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ योजना के संशोधित ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष अनुमोदन किये जाने के संबंध में तकनिकी राय प्रदान की गई।

अतः श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर राजस्थान द्वारा दी गई तकनिकी राय एवं नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.17 (1)नविवि/ अभियान/ 2021 दिनांक 20.09.2021 के बिन्दु संख्या 2 (I) में दिये गये आदेशों की पालना में स्थानीय एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यों द्वारा बाद विचार विमर्श खसरा नं. 467,471,472,473,474

१३
२६

२६
२६

कुल खसरे 05 रकबा 1.1900 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर में कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ योजना के संशोधित ले-आउट ल्लान अनुमोदन किये जाने हेतु निर्णय सर्वसमति से लिया गया।

3. नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा स्वप्रेरण से 90 (क) सुओमोटो की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त खसरा संख्या 1581 कुल खसरे 01 कुल रकबा 1.3000 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का कृषि भूमि से गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ "श्रीकृष्णम विहार" योजना कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ का ले-आउट ल्लान के अनुमोदन पर विचार/निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का कार्यवाही करते हुए खसरा संख्या 1581 कुल खसरे 01 कुल रकबा 1.3000 हैक्टर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने के कारण उक्त भूमि में अधिकारी और हित को पर्याप्तिन कर राज्य सरकार में समर्स्त विलंगामों से मुक्त निहित करने हेतु प्रारूप-(12) में सम्बन्धित खातेदारों को नोटिस एवं प्रारूप-(13) में 07 दिवस की आपत्ति आमतंत्रण लोक सूचना जारी 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई एवं प्रारूप-(13) की एक प्रति सम्बन्धित तहसीलदार महोदय को भेजकर उक्त वर्णित भूमि के कृषि भूमि के गैर-कृषिक उपयोग की अनुज्ञा प्रदान करने और भूमि पर अभिद्युति अधिकारों को निर्वाचित करने के संबंध में आक्षेप / सहमति से सूचित करने हेतु लिखा गया। उक्त आपत्ति आमतंत्रण लोक सूचना पर निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। श्रीमान तहसीलदार महोदय के पत्रांक 2337 दिनांक 26.11.2021 के द्वारा 90 (क) सुओमोटो किये जाने हेतु प्रारूप-(6) में सहमति रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि किसी निर्बाचित प्रवर्ग में नहीं है एवं किसी न्यायालय का कोई रथगान आदेश उक्त भूमि पर नहीं है। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 3029-31 दिनांक 09.12.2021 के द्वारा प्रारूप-(11) में उक्त भूमि के कृषि भूमि से गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु 90(क) सुओमोटो आदेश जारी किये गये एवं एक प्रति सम्बन्धित खातेदारों को सूचनार्थ प्रेषित की गई। उपरोक्त 90-(क) सुओमोटो आदेश की पालना में श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा उपरोक्त भूमि का नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में नगर पालिका के नाम से दर्ज कर दिया गया। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 4867 दिनांक 02.03.2022 के द्वारा श्रीमान उप/ जिला नगर नियोजक नगर नियोजन विभाग, सीकर को उक्त भूमि के संबंध में ले-आउट ल्लान अनुमोदन एवं तकनीकी राय हेतु पत्र लिखा गया। जिसके संबंध में श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर के पत्रांक टीपीएसके 1600 / 308 / श्रीमाधोपुर / 2022 / 1336 दिनांक 19.05.2022 द्वारा पत्र में वर्णित शर्तों के अध्यधीन कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ "श्री कृष्णम विहार" योजना के अनुमोदन हेतु रथानीय स्तरीय ले-आउट ल्लान समिति के समक्ष अनुमोदन किये जाने के संबंध में तकनीकी राय प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि उक्त ले-आउट के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554 / 2004 (गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार) के संबंध में दिये गये निर्देश दिनांक 12.01.2017, 08.08.2017, 14.10.2021, 15.12.2018 एवं राज्य सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में समय-समय पर जारी अन्य आदेशों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

26/26/26/26

21

अतः श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर द्वारा दी गई तकनीकी राय एवं नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान /2021 दिनांक 20.09.2021 के बिन्दु संख्या 2 (i) में दिये गये आदेशों की पालना में खानीय एम्पावड समिति के उपरिथित सदस्यों द्वारा खसरा संख्या 1581 कुल खसरे 01 कुल रफबा 1.3000 हैंकटर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर का कृषि भूमि के गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ "श्री कृष्णम विहार" योजना का ले-आउट ज्ञान अनुमोदन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4. श्री धर्मपाल नारंग, श्री नरेन्द्र कुमार नारंग पुत्रगण स्व. श्री किशनलाल नारंग, श्रीमती शीतल नारंग पत्नी श्री धर्मपाल नारंग द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आदेश से लिया गया। इसके अधिकारी अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार /निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिकारी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री धर्मपाल नारंग द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आदेश शीतल नारंग पत्नी श्री धर्मपाल नारंग, श्रीमती सिमरन नारंग पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार नारंग पुत्रगण स्व. श्री किशनलाल नारंग, श्रीमती भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 04.10.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित आवधि में/ पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 28.10.2021 की मौका सिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 95 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवासीय आवधित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की सिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर साज्य सरकार द्वारा निर्धारित कर्त ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कल्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 175.09 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ अतिकमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिकमण आवेदक के स्वयं के खर्च पर हटा लिया जावेगा।

21

26

26

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यों द्वारा आवेदक श्री धर्मपाल नारंग, श्री नरेन्द्र कुमार नारंग पुत्रगण स्व. श्री किशनलाल नारंग, श्रीमती शीतल नारंग पत्नी श्री धर्मपाल नारंग, श्रीमती सिमरन नारंग पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार नारंग से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 175.09 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

5. श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व. श्री मुकितलाल हरिजन द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार /निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व. श्री मुकितलाल हरिजन द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 29.09.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 08.11.2021 में/ पश्चात प्राप्त आपत्ति का निस्तारण समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 90 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 89.92 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ अतिक्रमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आवेदक के स्वयं के खर्च पर हटा लिया जावेगा।

आतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यों द्वारा आवेदक श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व. श्री मुकितलाल हरिजन से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 89.92 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

6. श्री मोहनलाल सैनी पुत्र स्व. श्री चौथमल सैनी द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार /निर्णय :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री मोहनलाल सैनी पुत्र स्व. श्री चौथमल सैनी द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 24.01.2013 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 29.09.2021 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 95 प्रतिशत निर्माण अवस्था है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवासीय आवक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व रिष्ट हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कर ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कृष्णा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 199.59 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ अतिक्रमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आवेदक के स्वयं के खर्च पर हटा लिया जावेगा।

आतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यों द्वारा आवेदक श्री मोहनलाल सैनी पुत्र स्व. श्री चौथमल सैनी से नियमानुसार युल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 199.59 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

7. प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 की तैयारियों एवं प्रगति की समीक्षा पर विचार :- अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के प्रचार-प्रसार हेतु शहर के प्रमुख स्थानों पर प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 से सम्बन्धित होडिंग लगवाते हुए एवं वार्डवार्ड टीम गठित कर धर-धर पम्पलेट बटवाये जा रहे हैं। शहर के मुख्य समाचार पत्रों के माल्यम से 02 अक्टूबर 2021 से प्रारम्भ होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान वार्डवार्ड आयोजित किये जाने वाले कैम्पों की सूची का प्रकाशन करवाया गया है, ताकि आमजन को

वार्डवार्इज आयोजित किये जाने वाले कैम्पो की सूचना से अवगत हो सके। वर्तमान में नगर पालिका श्रीमाधोपुर में विभिन्न प्रकार के पट्टों, नामान्तरण, निर्माण स्वीकृति, उप-विभाजन, पुर्नगठन, लै-आउट प्लान अनुमोदन एवं भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन के लगभग 690 पत्रावली प्राप्त हो चुकी हैं। जिन पर त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए पालिका द्वारा 520 पट्टे जारी किये जा चुके हैं तथा शेष प्रकरणों को निस्तारण किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ है।

अतः उक्त प्रकरण में बाद विचार विभार्ष एम्पावर्ड कमेटी के उपस्थित सदस्यों द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दौरान आमजन को अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार के माध्यम से जागरूक कर अभियान को सफल बनाते हुए अधिक से अधिक लोगों से पट्टों के लिए आवेदन करवाकर लाभान्वित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

26/12/22
(हरिनारायण)
अध्यक्ष
नगर पालिका श्रीमाधोपुर

(रिजत जेन)

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका श्रीमाधोपुर

नगर पालिका श्रीमाधोपुर

26/06/2021
(मो. अजहर जादू)
उप/जिला नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग सीकर

निश्चल बन्जरी
(स्वपाल स्वामी)
विधि सलाहकार
नगर पालिका श्रीमाधोपुर

लेखा प्रभारी
नगर पालिका श्रीमाधोपुर